पीलीभीत जनपद के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका : एक समग्र सामाजिक - आर्थिक विश्लेषण

प्रशांत कुमार[1*] और डॉ० बृजवास कुशवाहा[2]

[1] शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

*Correspondence Author: प्रशांत कुमार

Received 12 Dec 2025; Accepted 19 Jan 2026; Published 4 Feb 2026

DOI: https://doi.org/10.64171/JSRD.5.1.22-31

Abstract

विधानसभा क्षेत्र विकास निधि योजना (MLALADS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की संस्तुति हेतु वार्षिक निधि प्रदान की जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पीलीभीत जनपद के अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्रों—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान स्वीकृत कार्यों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में उद्देश्य-वार एवं विधानसभा-वार आगणित लागत का तुलनात्मक परीक्षण किया गया। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि का प्रमुख भाग सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था (विशेषकर हाई मास्ट एवं सोलर लाइट) तथा सामुदायिक अवसंरचना पर व्यय हुआ। तीनों वर्षों में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4.5–5.0 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति परिलक्षित हुई, जिससे संतुलित वितरण का संकेत मिलता है। हालाँकि, शिक्षा, पुस्तकालय, खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम व्यय दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि निधि का झुकाव अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल की ओर है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने भौतिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु दीर्घकालिक मानव विकास हेतु सामाजिक क्षेत्रों में संतुलित निवेश की आवश्यकता है।

Keywords: विधायक विकास निधि योजना, पीलीभीत, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, अवसंरचना विकास, विकेन्द्रीकरण

1. प्रस्तावना

भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विकेन्द्रीकृत विकास (Decentralized Development) को विशेष महत्व दिया गया है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि शासन की प्रक्रिया जनता के निकटतम स्तर तक पहुँचे और विकास संबंधी निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप लिए जाएँ। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ क्षेत्र-विशेष के अनुसार अत्यंत भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीकृत योजना-निर्माण अनेक बार स्थानीय वास्तविकताओं को पूर्णतः समाहित नहीं कर पाता। इसी कारण पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका प्रदान करने की अवधारणा विकसित हुई। विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य केवल प्रशासनिक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, उत्तरदायित्व की वृद्धि और जनभागीदारी के विस्तार से भी जुड़ा हुआ है।

भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर विकेन्द्रीकृत शासन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी समय-समय पर ऐसी योजनाएँ प्रारंभ कीं जिनके माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की संस्तुति कर सकें। विधायक विकास निधि योजना इसी व्यापक विकेन्द्रीकृत विकास दर्शन का परिणाम है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वे अपने क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग की स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कर सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में गति आती है तथा जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू विधायक विकास निधि योजना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संतुलित और आवश्यकता-आधारित विकास हो। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं-जैसे सड़क संपर्क की कमी, जल निकासी की समस्या, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की अनुपलब्धता, सामुदायिक भवनों की आवश्यकता आदि-को निकटता से समझते हैं। वे जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और स्थानीय अपेक्षाओं से भली-भाँति परिचित होते हैं। इसलिए उन्हें विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने का अवसर देना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित होता है, जिससे विकास कार्य अधिक प्रभावी और क्षेत्र-विशिष्ट बनते हैं।

पीलीभीत जनपद इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन-क्षेत्र प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित यह जिला प्राकृतिक संसाधनों, कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण जीवन-शैली की दृष्टि से विशिष्ट है। यहाँ की भूमि उर्वर है और कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। विशेष रूप से गन्ना उत्पादन, धान की खेती तथा अन्य फसलों का उत्पादन स्थानीय आय का प्रमुख स्रोत है। गन्ना आधारित

कृषि से संबंधित चीनी मिलों एवं लघु उद्योगों का भी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। इसके अतिरिक्त लघु व्यापार, ग्रामीण श्रम, कृषि-आधारित रोजगार तथा पशुपालन जैसी गतिविधियाँ भी स्थानीय आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

पीलीभीत की सामाजिक संरचना मुख्यतः ग्रामीण है, किंतु कुछ क्षेत्र अर्ध-शहरी स्वरूप भी धारण कर चुके हैं। जनपद में चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और विकासात्मक आवश्यकताएँ हैं। उदाहरणार्थ, कुछ क्षेत्रों में कृषि-आधारित अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो कुछ क्षेत्रों में सड़क संपर्क, जल निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख समस्या के रूप में उभरती है। इसी प्रकार, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान एवं सार्वजनिक सुविधाएँ भी स्थानीय विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं।

भौगोलिक दृष्टि से पीलीभीत का तराई क्षेत्र मानसूनी वर्षा से प्रभावित रहता है, जिससे जलभराव एवं निकासी संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण मार्गों की स्थिति वर्षा ऋतु में अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सड़क निर्माण, सी.सी. रोड, नाली निर्माण तथा जल निकासी परियोजनाएँ स्थानीय विकास की प्राथमिक आवश्यकता बन जाती हैं। इसी प्रकार, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की उपलब्धता सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार क्षेत्रों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर हाई मास्ट लाइट या सोलर लाइट की स्थापना से न केवल रात्रिकालीन सुरक्षा में सुधार होता है, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

सामुदायिक भवनों का निर्माण भी ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राम सभा, सामाजिक समारोह, प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिला समूहों की बैठकें और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ऐसे भवन आवश्यक होते हैं। विधायक विकास निधि योजना के माध्यम से इन प्रकार की स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूंजी (Social Capital) को सुदृढ़ करता है। इससे सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि होती है और विकास की प्रक्रिया अधिक सहभागी (participatory) बनती है।

पीलीभीत जैसे कृषि-प्रधान जिले में अवसंरचना विकास का सीधा प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उत्पादों का परिवहन सुगम होता है, जिससे किसानों को बाजार तक पहुँचने में सुविधा मिलती है। इससे कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। जल निकासी व्यवस्था में सुधार से फसलों को जलभराव से होने वाले नुकसान में कमी आती है। इसी प्रकार, प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से बाजारों में रात्रिकालीन गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे लघु व्यापारियों की आय में सुधार संभव है।

विधायक विकास निधि योजना स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम भी बनती है। कई बार ऐसी आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें दीर्घकालिक राज्य या केंद्रीय योजनाओं में समाहित करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी विशेष गाँव में पुलिया निर्माण, विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष, पंचायत भवन का निर्माण, या किसी सार्वजनिक स्थल पर शेड की आवश्यकता–ये सभी स्थानीय स्तर की आवश्यकताएँ हैं। विधायक निधि के माध्यम से ऐसे कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र संपन्न किए जा सकते हैं।

हालाँकि, विकेन्द्रीकृत विकास की सफलता केवल निधि आवंटन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और रख-रखाव पर भी आधारित होती है। यदि निर्मित परिसंपत्तियों का उचित रख-रखाव न हो, तो उनका दीर्घकालिक लाभ सीमित हो सकता है। इसलिए स्थानीय निकायों और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विधायक निधि योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि कार्यों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हो, सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था हो और नागरिकों को विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो।

समग्र रूप से देखा जाए तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत विकास केवल प्रशासनिक सुधार का उपाय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति का माध्यम है। विधायक विकास निधि योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका प्रदान करती है। पीलीभीत जनपद जैसे कृषि-प्रधान एवं ग्रामीण-प्रधान क्षेत्र में यह योजना सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और सामुदायिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकती है। यदि योजना का उपयोग संतुलित, पारदर्शी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किया जाए, तो यह क्षेत्रीय विकास का प्रभावी और सतत साधन सिद्ध हो सकती है। जनपद में निम्नलिखित चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं—

- पीलीभीत
- बरखेड़ा
- पूरनपुर
- बीसलपुर

2. योजना की पृष्ठभूमि एवं विकास

विधानसभा क्षेत्र विकास निधि योजना (MLALADS) का उद्भव भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक में यह अनुभव किया गया कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएँ व्यापक विकास के लिए तो उपयोगी हैं, परंतु वे कई बार स्थानीय स्तर की छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संबोधित नहीं कर पातीं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होते हैं और जनता के साथ उनके निरंतर संपर्क के कारण वे स्थानीय प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसी विचारधारा के आधार पर वर्ष 1998–99 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधायक विकास निधि योजना की शुरुआत की गई।

प्रारंभिक चरण में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई। उस समय यह राशि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त मानी गई, जैसे–ग्रामीण मार्गों का निर्माण, पुलिया, नाली, सामुदायिक भवन, हैंडपंप या सार्वजनिक शेड आदि। इस पहल ने जनप्रतिनिधियों को विकास प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान किया तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान की गति को बढ़ाया।

समय के साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं में वृद्धि, महंगाई दर में परिवर्तन तथा विकास कार्यों की लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए निधि राशि में क्रमिक वृद्धि की गई। वर्ष 2000–01 में इसे बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया। यह वृद्धि इस बात का संकेत थी कि सरकार स्थानीय विकास कार्यों की व्यापकता को समझ रही थी और संसाधनों को उसी अनुरूप विस्तारित करना चाहती थी।

इसके बाद वर्ष 2012–13 में निधि को 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधायक प्रतिवर्ष कर दिया गया। इस चरण में योजना का स्वरूप और अधिक प्रभावी हो गया, क्योंकि बढ़ी हुई राशि के माध्यम से बड़े एवं स्थायी निर्माण कार्य संभव हो सके। सड़क निर्माण, विद्यालय भवन विस्तार, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था जैसी परियोजनाएँ अधिक व्यापक रूप में संपन्न की जाने लगीं। यह अवधि योजना के संस्थागत सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही।

वर्ष 2018–19 में निधि को बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा गया। जीएसटी लागू होने के बाद निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि हुई थी, अतः यह आवश्यक हो गया कि निधि राशि में समुचित संशोधन किया जाए। इस निर्णय ने योजना की व्यवहारिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2020–21 में निधि राशि को बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह वृद्धि उस समय की बढ़ती विकास आवश्यकताओं, शहरीकरण की गति तथा ग्रामीण अवसंरचना सुधार की मांगों के अनुरूप थी। अंततः वर्ष 2023–24 से विधायक विकास निधि को जीएसटी सहित कुल 5.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। वर्तमान में यह राशि स्थानीय स्तर पर व्यापक और प्रभावी विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानी जाती है।

योजना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि निधि का उपयोग केवल स्थायी परिसंपत्तियों (Durable Assets) के निर्माण हेतु किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यय से दीर्घकालिक सार्वजनिक लाभ उत्पन्न हो। राजस्व व्यय—जैसे वेतन, मानदेय, संचालन व्यय या निजी संस्थाओं को प्रत्यक्ष अनुदान—पूर्णतः निषिद्ध है। यह प्रावधान वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार, वर्ष 1998–99 से आरंभ होकर वर्तमान तक विधायक विकास निधि योजना ने निरंतर विकास और विस्तार की प्रक्रिया को अपनाया है। राशि में क्रमिक वृद्धि तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से यह योजना स्थानीय विकास को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरी है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

- पीलीभीत जनपद में विधानसभा-वार निधि वितरण का विश्लेषण करना।
- उद्देश्य-वार व्यय संरचना का परीक्षण करना।
- अवसंरचना एवं सामाजिक निवेश के मध्य संतुलन का मूल्यांकन करना।
- नीति-सुझाव प्रस्तुत करना।

4. डेटा एवं पद्धति

4.1 डेटा स्रोत

जिला पीलीभीत के विधायक निधि के द्वारा किये गए कार्य 2023 से अब तक के सरकारी आंकड़ों की स्टडी की गई। इन फाइलों में कार्य का प्रकार, विधानसभा क्षेत्र, कार्यदायी संस्था तथा आगणित लागत (लाख रुपये में) का विवरण उपलब्ध था।

4.2 विश्लेषण पद्धति

- डेटा क्लीनिंग एवं वर्गीकरण
- विधानसभा-वार समेकन
- उद्देश्य-वार कुल लागत एवं प्रतिशत गणना
- वर्ष-वार तुलनात्मक विश्लेषण
- वर्णनात्मक सांख्यिकी

5. परिणाम

तालिका 1: वर्ष-वार विधानसभा-वार स्वीकृत लागत (लाख ₹ में)

विधानसभा क्षेत्र	वर्तमान विधायक (MLA)	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26
पीलीभीत	श्री संजय सिंह गंगवार	~498	~492	~486
बरखेड़ा	श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद	~500	~497	~479
पूरनपुर	श्री बाबूराम	~496	~489	~482
बीसलपुर	श्री विवेक कुमार वर्मा	~494	~495	~470

तालिका–1 में पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों–पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 तथा 2025-26 के दौरान विधायक विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत आगणित लागत (लाख रुपये में) का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही संबंधित वर्तमान विधायक (MLA) के नाम भी दर्शाए गए हैं। यह तालिका न केवल वर्षानुसार व्यय-पैटर्न को स्पष्ट करती है, बल्कि विधानसभा-वार तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझने में भी सहायक है।

A. समग्र प्रवृत्ति (Overall Trend)

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4.90 से 5.00 करोड़ रुपये के आसपास की निधि स्वीकृत हुई है। यह संकेत करता है कि प्रारंभिक दो वर्षों में निधि वितरण अपेक्षाकृत संतुलित एवं अधिकतम वार्षिक सीमा के निकट रहा। वर्ष 2025–26 में चारों क्षेत्रों में हल्की गिरावट परिलक्षित होती है, किंतु वितरण का संतुलन बना हुआ है।

B. विधानसभा-वार विश्लेषण

a) पीलीभीत विधानसभा

वर्तमान विधायक: श्री संजय सिंह गंगवार

वर्ष 2023–24 में लगभग 498 लाख रुपये की स्वीकृति दर्ज की गई। 2024–25 में यह घटकर लगभग 492 लाख रुपये रही, जबकि 2025–26 में लगभग 486 लाख रुपये की स्वीकृति हुई। तीनों वर्षों में व्यय स्तर उच्च और अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। गिरावट क्रमिक और सीमित है, जिससे संकेत मिलता है कि निधि का उपयोग निरंतरता के साथ किया गया।

b) बरखेड़ा विधानसभा

वर्तमान विधायक: श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद

बरखेड़ा में 2023–24 में लगभग 500 लाख रुपये की स्वीकृति दर्ज की गई, जो लगभग पूर्ण वार्षिक सीमा को दर्शाती है। 2024–25 में यह लगभग 497 लाख रुपये रही, जो संतुलित उपयोग का संकेत देती है। 2025–26 में यह घटकर लगभग 479 लाख रुपये रह गई। यद्यपि अंतिम वर्ष में कुछ कमी है, फिर भी तीनों वर्षों में यह विधानसभा उच्च निधि उपयोग के अंतर्गत रही है।

c) पूरनपुर विधानसभा

वर्तमान विधायक: श्री बाबूराम

पूरनपुर में 2023–24 में लगभग 496 लाख रुपये की स्वीकृति हुई। 2024–25 में यह लगभग 489 लाख रुपये रही तथा 2025–26 में लगभग 482 लाख रुपये दर्ज की गई। यहाँ भी तीनों वर्षों में व्यय का स्तर लगभग समान बना रहा है। गिरावट सीमित है और समग्र रूप से यह विधानसभा संतुलित व्यय-पैटर्न प्रस्तुत करती है।

d) बीसलपुर विधानसभा

वर्तमान विधायक: श्री विवेक कुमार वर्मा

बीसलपुर में 2023–24 में लगभग 494 लाख रुपये तथा 2024–25 में लगभग 495 लाख रुपये की स्वीकृति दर्ज की गई, जो अत्यंत स्थिर स्थिति को दर्शाती है। किंतु 2025–26 में यह घटकर लगभग 470 लाख रुपये रह गई। यद्यपि गिरावट अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी अधिक है, फिर भी यह राशि पर्याप्त स्तर पर बनी हुई है।

C. तुलनात्मक अवलोकन

- चारों विधानसभा क्षेत्रों में 2023–24 एवं 2024–25 में लगभग अधिकतम सीमा के निकट निधि स्वीकृति हुई।
- 2025–26 में सभी क्षेत्रों में हल्की गिरावट देखी गई, किंतु किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक असमानता नहीं है।
- बरखेड़ा और पीलीभीत प्रारंभिक वर्षों में सर्वाधिक स्वीकृति वाले क्षेत्र रहे।
- बीसलपुर में 2025–26 में अपेक्षाकृत अधिक कमी परिलक्षित होती है।

रूप से संतुलित एवं निरंतर वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित किया है, जो क्षेत्रीय विकास के लिए सकारात्मक संकेतक है।

5.2 उद्देश्य-वार संयुक्त प्रतिशत विश्लेषण

तालिका–2 में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभा—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर–में विधायक विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष कुल स्वीकृत व्यय 1991.60612 लाख रुपये (लगभग 19.92 करोड़ रुपये) दर्ज किया गया है। यह राशि विभिन्न विकासात्मक मदों में विभाजित है, जिनका विश्लेषण प्रतिशत एवं वास्तविक लागत के आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है।

A. मद-वार समग्र व्यय संरचना (2023–24)

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रमुख मदों का समेकित विश्लेषण निम्नानुसार है:

a) हाई मास्ट लाइट

इस मद के अंतर्गत लगभग 686.19 लाख रुपये (लगभग) का व्यय दर्ज हुआ है, जो कुल व्यय का लगभग 34–35% है। यह सर्वाधिक व्यय वाला मद है। पीलीभीत विधानसभा (श्री संजय सिंह गंगवार) तथा बीसलपुर (श्री विवेक कुमार वर्मा) एवं बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद) में हाई मास्ट लाइट परियोजनाएँ प्रमुख रहीं। इससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई। तराई क्षेत्र होने के कारण रात्रिकालीन सुरक्षा एवं बाजार क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

b) सी.सी. रोड एवं संबंधित कार्य

सी.सी. रोड, सी.सी. रोड व नाली तथा इंटरलॉकिंग रोड से संबंधित मदों पर संयुक्त रूप से लगभग 600–650 लाख रुपये (लगभग 30–32%) व्यय हुए। बीसलपुर विधानसभा में इस मद का विशेष प्रभुत्व दिखाई देता है, जहाँ श्री विवेक कुमार वर्मा द्वारा अनेक सड़क निर्माण परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं। सड़क निर्माण ग्रामीण संपर्क, कृषि उत्पाद परिवहन तथा स्थानीय बाजार पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

c) स्पोर्ट्स / व्यायाम सुविधाएँ

इस मद पर लगभग 330–350 लाख रुपये (लगभग 16–17%) व्यय हुआ। पूरनपुर (श्री बाबूराम) एवं बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद) में खेल सुविधाओं से संबंधित अनेक परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं। यह संकेत देता है कि युवाओं के लिए व्यायामशाला, ओपन जिम आदि के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। सामाजिक दृष्टि से यह स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

d) शेड निर्माण

शेड निर्माण पर लगभग 140–150 लाख रुपये (लगभग 7–8%) व्यय हुआ। पूरनपुर एवं बरखेड़ा में इस मद की पुनरावृत्ति अधिक दिखाई देती है। शेड निर्माण प्रायः सार्वजनिक स्थलों, बाजार, विद्यालय परिसर या सामुदायिक स्थानों के लिए उपयोगी होता है।

e) स्वागत प्रवेश / स्मृति द्वार

इस मद में लगभग 110–120 लाख रुपये (लगभग 5–6%) व्यय हुआ। यह मुख्यतः सांस्कृतिक पहचान एवं क्षेत्रीय गौरव से संबंधित परियोजनाएँ हैं। बरखेड़ा एवं पूरनपुर में इस मद की उपस्थिति अधिक रही।

f) पेयजल

पेयजल से संबंधित परियोजनाओं पर लगभग 100–110 लाख रुपये (लगभग 5%) व्यय हुआ। पूरनपुर विधानसभा में इस मद का विशेष प्रभुत्व दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

g) अन्य मद

विद्युत कार्य, लैपटॉप क्रय, इंटरलॉकिंग रोड, चारदीवारी आदि मदों पर कुल व्यय का 2–3% हिस्सा रहा। इन मदों का प्रभाव सीमित है किंतु विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है।

B. विधानसभा-वार प्रवृत्ति

- **पूरनपुर (श्री बाबूराम):** खेल सुविधाएँ, पेयजल एवं शेड निर्माण पर विशेष ध्यान।
- **बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद):** खेल सुविधाएँ एवं स्वागत द्वार पर उल्लेखनीय व्यय।
- **बीसलपुर (श्री विवेक कुमार वर्मा):** सड़क निर्माण (सी.सी. रोड) पर सर्वाधिक प्राथमिकता।
- **पीलीभीत (श्री संजय सिंह गंगवार):** हाई मास्ट लाइट एवं मार्ग प्रकाश परियोजनाएँ प्रमुख।

यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि प्रत्येक विधायक ने अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निधि का उपयोग किया।

अतः वर्ष 2023–24 में कुल 1991.60 लाख रुपये की निधि का वितरण मुख्यतः अवसंरचना-प्रधान रहा।

- प्रकाश व्यवस्था (हाई मास्ट + मार्ग प्रकाश) लगभग 35%
- सड़क निर्माण लगभग 30%
- खेल सुविधाएँ लगभग 16–17%
- सामुदायिक संरचनाएँ (शेड, स्वागत द्वार) लगभग 12–13%
- पेयजल लगभग 5%

इससे स्पष्ट है कि निधि का लगभग दो-तिहाई भाग भौतिक अवसंरचना सुधार पर केंद्रित रहा। सामाजिक एवं मानव विकास से संबंधित मदों की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित है। तराई क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था पर अधिक निवेश तार्किक प्रतीत होता है। किंतु दीर्घकालिक समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं में भी संतुलित निवेश अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभा—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर—के अंतर्गत विधायक विकास निधि से स्वीकृत कुल व्यय 2025.39 लाख रुपये (लगभग 20.25 करोड़ रुपये) रहा। यह राशि विभिन्न विकासात्मक मदों में वितरित की गई, जिनका विश्लेषण वास्तविक लागत तथा प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

A) समग्र व्यय संरचना (2024–25)

a) हाई मास्ट लाइट – सर्वाधिक व्यय मद

इस वर्ष का सर्वाधिक व्यय हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं पर हुआ। कुल मिलाकर लगभग 1320–1350 लाख रुपये (अनुमानतः) इस मद में व्यय हुए, जो कुल व्यय का लगभग 65% से अधिक है।

- पीलीभीत विधानसभा (श्री संजय सिंह गंगवार) द्वारा 226.4 + 226.4 लाख जैसी उच्च लागत वाली परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं।
- पूरनपुर (श्री बाबूराम) में 181.944 तथा 67.032 लाख रुपये की परियोजनाएँ दर्ज हैं।
- बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद) में 159.6 एवं 89.376 लाख की परियोजनाएँ प्रमुख रहीं।
- बीसलपुर (श्री विवेक कुमार वर्मा) में भी 130.872 एवं 95.76 लाख की स्वीकृतियाँ दर्ज हैं।

यह प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि 2024–25 में प्रकाश व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह संभवतः सुरक्षा, शहरीकरण तथा बाजार क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा।

b) सी.सी. रोड एवं सड़क संबंधी कार्य

सी.सी. रोड, खड़ंजा निर्माण, इंटरलॉकिंग रोड आदि मदों पर लगभग 250–300 लाख रुपये (लगभग 13–15%) व्यय हुए।

विशेष रूप से बीसलपुर विधानसभा में सड़क निर्माण कार्यों की संख्या अधिक रही। सड़क अवसंरचना कृषि-प्रधान जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करती है, जिससे यह व्यय तार्किक प्रतीत होता है।

c) शेड निर्माण

शेड निर्माण पर लगभग 170–180 लाख रुपये (लगभग 8–9%) व्यय हुए।

- बीसलपुर में 28.5 तथा 14.25 लाख की अनेक परियोजनाएँ।
- पूरनपुर में 54.96 लाख की प्रमुख स्वीकृति।

यह दर्शाता है कि सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों एवं सामुदायिक उपयोग हेतु संरचनात्मक सुविधाओं पर ध्यान दिया गया।

d) स्वागत प्रवेश / स्मृति द्वार

इस मद पर लगभग 220–250 लाख रुपये (लगभग 11–12%) व्यय हुए। बरखेड़ा विधानसभा में इस मद का प्रभुत्व अधिक दिखाई देता है। यह मद सांस्कृतिक पहचान एवं क्षेत्रीय गौरव से संबंधित है।

e) स्पोर्ट्स / व्यायाम सुविधाएँ

इस मद में लगभग 90–100 लाख रुपये (लगभग 4–5%) व्यय हुए। पूरनपुर में ओपन जिम एवं व्यायाम उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह युवाओं एवं स्वास्थ्य-संबंधी दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत है।

f) अन्य मद

मद	अनुमानित व्यय	प्रतिशत
भवन निर्माण	~22–25 लाख	~1%
बारात घर / चौपाल	5.88 लाख	<1%
पेयजल	4.02 लाख	<1%
पुलिया निर्माण	15.49 लाख	~0.7%
चारदीवारी	7.91 लाख	<1%
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल	0.20 लाख	नगण्य

यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं मानव विकास से संबंधित मदों पर व्यय सीमित रहा।

B) विधानसभा-वार प्रमुख प्रवृत्तियाँ

a) पीलीभीत विधानसभा (श्री संजय सिंह गंगवार)

हाई मास्ट लाइट पर सर्वाधिक ध्यान। साथ ही पुलिया एवं भवन निर्माण पर भी स्वीकृति।

b) पूरनपुर (श्री बाबूराम)

हाई मास्ट लाइट के अतिरिक्त शेड निर्माण एवं खेल सुविधाओं पर उल्लेखनीय व्यय।

c) बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद)

स्वागत द्वार एवं हाई मास्ट लाइट प्रमुख मद।

d) बीसलपुर (श्री विवेक कुमार वर्मा)

सड़क निर्माण एवं हाई मास्ट लाइट पर संतुलित व्यय।

C) तुलनात्मक विश्लेषण (2023–24 बनाम 2024–25)

- 2024–25 में कुल व्यय (2025.39 लाख) 2023–24 (1991.60 लाख) से थोड़ा अधिक रहा।
- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- सड़क निर्माण का प्रतिशत घटा, जबकि हाई मास्ट लाइट का प्रभुत्व बढ़ा।
- सामाजिक अवसंरचना (पेयजल, भवन, चौपाल) की हिस्सेदारी सीमित रही।

अतः वर्ष 2024–25 में विधायक विकास निधि का उपयोग अत्यधिक अवसंरचना-केंद्रित रहा, विशेषकर प्रकाश व्यवस्था के क्षेत्र में। कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं में व्यय होना यह दर्शाता है कि रात्रिकालीन सुरक्षा, बाजार विस्तार तथा दृश्यात्मक विकास को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक भवन जैसी परियोजनाओं में सीमित निवेश दीर्घकालिक सामाजिक विकास की दृष्टि से संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पीलीभीत जनपद के अंतर्गत विधायक विकास निधि से स्वीकृत कुल व्यय 2244.48726 लाख रुपये (लगभग 22.44 करोड़ रुपये) रहा। यह तीनों वर्षों में सर्वाधिक व्यय वाला वर्ष रहा। उपलब्ध मदवार आंकड़ों के आधार पर वास्तविक लागत एवं प्रतिशत विश्लेषण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

A. मद-वार व्यय संरचना (2025–26)

a) हाई मास्ट लाइट – प्रमुख व्यय मद

इस वर्ष भी सर्वाधिक व्यय हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं पर हुआ। बड़े मूल्य की स्वीकृतियों—जैसे 254.70 लाख (पीलीभीत), 248.976 लाख (पूरनपुर), 159.60 लाख (बरखेड़ा), 118.104 लाख (बीसलपुर) आदि—के आधार पर अनुमानतः इस मद पर कुल व्यय लगभग 1400–1500 लाख रुपये रहा, जो कुल व्यय का लगभग 62–67% है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 2025–26 में भी प्रकाश अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

b) सी.सी. रोड एवं सड़क निर्माण कार्य

सी.सी. रोड से संबंधित अनेक स्वीकृतियाँ विशेषकर बीसलपुर विधानसभा (श्री विवेक कुमार वर्मा) में दर्ज हैं। विभिन्न मदों (3.341, 8.01, 9.58, 10.83 आदि) को सम्मिलित करने पर इस श्रेणी में लगभग 300–350 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है, जो कुल का लगभग 14–16% है। सड़क अवसंरचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः यह व्यय कृषि-प्रधान जिले के अनुरूप है।

c) शेड निर्माण

बरखेड़ा विधानसभा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद) में 6.93 लाख की अनेक स्वीकृतियाँ दर्ज हैं। कुल मिलाकर इस मद पर लगभग 120–140 लाख रुपये (लगभग 5–6%) व्यय हुआ।

d) फर्नीचर

डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त (विधान परिषद) द्वारा 1.984 लाख की अनेक स्वीकृतियाँ दर्ज हैं। कुल मिलाकर इस मद में लगभग 30–35 लाख रुपये (लगभग 1.5%) का व्यय अनुमानित है।

e) सोलर लाइट

सोलर लाइट परियोजनाओं पर 0.15364 लाख की कई प्रविष्टियाँ हैं। कुल व्यय अनुमानतः 3–5 लाख रुपये (लगभग 0.2%) रहा। यह सतत ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित निवेश को दर्शाता है।

f) पेयजल

पेयजल से संबंधित परियोजनाओं पर लगभग 12–16 लाख रुपये (लगभग 0.6–0.8%) व्यय हुआ।

g) मार्ग प्रकाश

मार्ग प्रकाश (28.3 एवं 24.236 लाख) पर कुल लगभग 52–55 लाख रुपये (लगभग 2–2.5%) व्यय हुए।

h) अन्य मद

मद	अनुमानित व्यय	प्रतिशत
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल	1 लाख	नगण्य
भवन निर्माण	~15 लाख	<1%
ट्री प्लांटेशन / ट्री गार्ड	15 लाख	~0.7%
विद्युत कार्य	2.12 लाख	<1%

B. विधानसभा-वार प्रवृत्तियाँ

a) पीलीभीत (श्री संजय सिंह गंगवार)

हाई मास्ट लाइट पर अत्यधिक निवेश (254.7, 240.55 लाख)।

b) पूरनपुर (श्री बाबूराम)

हाई मास्ट लाइट (248.976 लाख) तथा ट्री प्लांटेशन पर ध्यान।

c) बरखेड़ा (श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद)

हाई मास्ट लाइट (159.6 लाख) एवं शेड निर्माण प्रमुख।

d) बीसलपुर (श्री विवेक कुमार वर्मा)

सड़क निर्माण एवं हाई मास्ट लाइट में संतुलित व्यय।

C. तुलनात्मक दृष्टिकोण (तीनों वर्षों का संकेत)

- 2023–24 : प्रकाश एवं सड़क में संतुलित व्यय

- 2024–25 : प्रकाश पर अत्यधिक झुकाव
- 2025–26 : प्रकाश अवसंरचना का प्रभुत्व और अधिक स्पष्ट

कुल व्यय 2025–26 में 2244.48 लाख रहा, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

अतः वर्ष 2025–26 में विधायक विकास निधि का उपयोग अत्यधिक अवसंरचना-प्रधान और विशेषकर प्रकाश-केंद्रित रहा। कुल निधि का लगभग दो-तिहाई भाग हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं में व्यय होना यह दर्शाता है कि दृश्यात्मक विकास एवं सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सामाजिक विकास से संबंधित मदों में अपेक्षाकृत कम निवेश यह इंगित करता है कि दीर्घकालिक मानव विकास की दिशा में संतुलन आवश्यक है।

6. चर्चा

वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 तथा 2025–26 के आंकड़ों का समेकित विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः अवसंरचना-प्रधान (Infrastructure Oriented) मॉडल के अंतर्गत हुआ है। तीनों वर्षों में व्यय संरचना, मदवार प्राथमिकताएँ तथा विधानसभा-वार वितरण के तुलनात्मक अध्ययन से विकास की प्रवृत्तियों, प्राथमिकताओं और सीमाओं का समग्र चित्र उभरकर सामने आता है। निम्नलिखित बिंदुओं में इस प्रवृत्ति का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

i) अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल : प्रकाश एवं सड़क पर केंद्रित निवेश

तीनों वित्तीय वर्षों में सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि कुल स्वीकृत व्यय का सर्वाधिक भाग प्रकाश व्यवस्था (विशेषकर हाई मास्ट लाइट) तथा सड़क निर्माण (सी.सी. रोड, इंटरलॉकिंग रोड, खड़ंजा आदि) पर व्यय हुआ।

- **2023–24** में प्रकाश एवं सड़क मिलाकर लगभग दो-तिहाई निधि का उपयोग हुआ।
- **2024–25** में हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं का प्रतिशत अत्यधिक बढ़कर लगभग 60–65% तक पहुँच गया।
- **2025–26** में भी लगभग 62–67% निधि हाई मास्ट लाइट पर व्यय हुई।

यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि योजना का झुकाव त्वरित दृश्यात्मक प्रभाव (Visible Impact Projects) वाले कार्यों की ओर रहा। हाई मास्ट लाइट, मार्ग प्रकाश तथा सड़क निर्माण ऐसे कार्य हैं जिनका परिणाम तुरंत दिखाई देता है और जिनसे नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। तराई क्षेत्र होने के कारण पीलीभीत में मानसूनी वर्षा, जलभराव और ग्रामीण मार्गों की दुर्दशा जैसी समस्याएँ प्रचलित हैं। ऐसे में सड़क निर्माण पर निवेश ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ करता है, कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाता है तथा बाजार तक पहुँच को बेहतर करता है। इसी प्रकार, हाई मास्ट लाइट एवं मार्ग प्रकाश परियोजनाएँ सार्वजनिक सुरक्षा, रात्रिकालीन बाजार गतिविधियों तथा सामाजिक जीवन में गतिशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था अपराध नियंत्रण एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस अवसंरचना-प्रधान मॉडल का एक सीमित पक्ष भी है—यह दीर्घकालिक सामाजिक विकास की अपेक्षा तात्कालिक भौतिक सुधार पर अधिक केंद्रित है।

ii) सतत ऊर्जा की दिशा : सोलर लाइट का सीमित किंतु सकारात्मक संकेत

तीनों वर्षों में सोलर लाइट परियोजनाओं की उपस्थिति दर्ज की गई, विशेषकर 2025–26 में अनेक छोटी स्वीकृतियाँ (0.15364 लाख) के रूप में। यद्यपि कुल व्यय में इसका प्रतिशत अत्यंत कम (लगभग 0.2–0.5%) रहा, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। सोलर लाइट परियोजनाएँ सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs), विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7) तथा जलवायु कार्रवाई (SDG 13) के अनुरूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था विद्युत निर्भरता को कम करती है तथा दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कमी लाती है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सोलर लाइट का निवेश अभी भी प्रतीकात्मक स्तर पर है। यदि भविष्य में प्रकाश व्यवस्था के बड़े हिस्से को सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली में परिवर्तित किया जाए, तो यह पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक टिकाऊ (Sustainable) मॉडल सिद्ध हो सकता है।

iii) सामाजिक निवेश की सीमित भागीदारी : मानव विकास की चुनौती

तीनों वर्षों के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन निर्माण, सामुदायिक केंद्र, खेल सुविधाएँ आदि सामाजिक अवसंरचना मदों में व्यय अपेक्षाकृत सीमित रहा है।

- पेयजल पर कुल व्यय सामान्यतः 1–5% के बीच रहा।
- भवन निर्माण एवं फर्नीचर जैसे मदों पर नगण्य प्रतिशत व्यय हुआ।
- खेल सुविधाओं पर 2023–24 में अपेक्षाकृत अधिक व्यय हुआ, किंतु 2024–25 एवं 2025–26 में इसका अनुपात घटा।

यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक मानव विकास (Human Development) के संदर्भ में विचारणीय है। सड़क और प्रकाश व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं, किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सशक्तिकरण में निवेश के बिना सतत विकास संभव नहीं है। मानव विकास सूचकांक (HDI) की दृष्टि से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ पेयजल एवं कौशल विकास अधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। विधायक विकास निधि योजना यदि इन क्षेत्रों में संतुलित निवेश सुनिश्चित करे, तो सामाजिक असमानताओं को कम करने में अधिक प्रभावी हो सकती है। इस प्रकार, सामाजिक निवेश की सीमित भागीदारी योजना के एक संरचनात्मक पक्ष को उजागर करती है—जहाँ भौतिक अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई, वहीं मानव पूंजी निर्माण (Human Capital Formation) अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता में रहा।

iv) संतुलित विधानसभा वितरण : क्षेत्रीय समावेशन का संकेत

विधानसभा-वार विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तीनों वर्षों में चारों विधानसभा—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर—में निधि का वितरण लगभग संतुलित रहा।

- 2023–24 में कुल व्यय 1991.60 लाख रुपये रहा।
- 2024–25 में यह बढ़कर 2025.39 लाख रुपये हुआ।
- 2025–26 में यह 2244.48 लाख रुपये तक पहुँच गया।

प्रत्येक वर्ष चारों क्षेत्रों में लगभग समान स्तर की स्वीकृतियाँ दर्ज की गईं। यद्यपि मद-वार प्राथमिकताएँ अलग-अलग रहीं—जैसे बीसलपुर में सड़क निर्माण, पूरनपुर में हाई मास्ट लाइट, बरखेड़ा में शेड निर्माण—फिर भी कुल व्यय संतुलित रहा। यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय समावेशन (Regional Inclusiveness) का संकेत देती है। किसी एक विधानसभा में अत्यधिक असमानता या पक्षपात के प्रमाण नहीं मिलते। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य—समान अवसर आधारित विकास—के अनुरूप है।

v) समग्र प्रवृत्ति : दृश्यात्मक विकास बनाम संरचनात्मक परिवर्तन

तीनों वर्षों के संयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना ने भौतिक अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार किया है। सड़क, प्रकाश एवं सामुदायिक संरचनाएँ स्थानीय जीवन की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। फिर भी, विकास का यह मॉडल मुख्यतः "दृश्यात्मक विकास" (Visible Development) पर आधारित प्रतीत होता है। दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन—जैसे शिक्षा सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य अवसंरचना, कौशल प्रशिक्षण केंद्र—इन पर अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ। यदि योजना का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक एवं मानव विकास मदों के लिए आरक्षित किया जाए, तो यह अधिक संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकती है।

अतः पीलीभीत जनपद में 2023–24 से 2025–26 के मध्य विधायक विकास निधि योजना का क्रियान्वयन सक्रिय एवं वित्तीय दृष्टि से प्रगतिशील रहा। कुल व्यय में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि योजना प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ है। हालाँकि, व्यय संरचना स्पष्ट रूप से अवसंरचना-प्रधान रही है, विशेषकर प्रकाश व्यवस्था के क्षेत्र में। सामाजिक विकास मदों में अपेक्षाकृत कम निवेश दीर्घकालिक मानव विकास की दृष्टि से संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। समग्रतः, योजना ने क्षेत्रीय स्तर पर भौतिक विकास को गति प्रदान की है, किंतु भविष्य में इसे अधिक समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास मॉडल की दिशा में उन्मुख करना आवश्यक होगा।

7. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 के मध्य पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का समेकित विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि इस योजना ने स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। यद्यपि व्यय का प्रमुख भाग प्रकाश व्यवस्था एवं सड़क अवसंरचना पर केंद्रित रहा, तथापि इसके बहुआयामी परिणाम क्षेत्रीय विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं।

i) ग्रामीण संपर्क मार्गों में सुधार

तीनों वर्षों में सी.सी. रोड, इंटरलॉकिंग रोड, खड़ंजा निर्माण तथा पुलिया निर्माण जैसे कार्यों पर उल्लेखनीय व्यय हुआ। विशेष रूप से बीसलपुर विधानसभा में 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान सड़क निर्माण परियोजनाओं की बहुलता रही।

ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण से निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते हैं—

- कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता, जिससे किसानों को बाजार तक पहुँचने में सुविधा मिली।
- विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच में सुधार।
- मानसूनी जलभराव की स्थिति में भी आवागमन की निरंतरता।
- स्थानीय श्रम बाजार की गतिशीलता में वृद्धि।

इस प्रकार, सड़क अवसंरचना में निवेश ने प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की तथा क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ किया।

ii) जल निकासी एवं स्वास्थ्य लाभ

हालाँकि जल निकासी संबंधी मदों पर प्रत्यक्ष व्यय सीमित प्रतिशत में रहा, किंतु सी.सी. रोड व नाली निर्माण तथा शेड निर्माण जैसी परियोजनाओं का अप्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ा। जलभराव की समस्या तराई क्षेत्र में सामान्य है, जिससे मच्छरजनित रोगों एवं जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ता है। नाली निर्माण एवं सड़क सुदृढ़ीकरण से जल निकासी में सुधार हुआ, जिससे स्वास्थ्य जोखिमों में कमी की संभावना बढ़ी। इसके अतिरिक्त, पेयजल परियोजनाओं (यद्यपि प्रतिशत कम रहा) ने स्वच्छ जल उपलब्धता को बढ़ावा दिया, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

iii) बाजार एवं व्यापार गतिविधियों में वृद्धि

हाई मास्ट लाइट एवं मार्ग प्रकाश परियोजनाओं पर 2024–25 एवं 2025–26 में कुल निधि का लगभग 60–65% तक व्यय हुआ। यह निवेश केवल प्रकाश व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ा।

- बाजार क्षेत्रों में रात्रिकालीन व्यापार संभव हुआ।
- ग्रामीण हाट एवं स्थानीय मंडियों की गतिविधियाँ विस्तारित हुईं।
- छोटे व्यापारियों एवं स्वरोजगारकर्ताओं को अधिक समय तक व्यापार संचालन का अवसर मिला।

इस प्रकार, प्रकाश अवसंरचना ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता उत्पन्न की।

iv) सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार

प्रकाश व्यवस्था में उच्च निवेश का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार है। हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं से—

- सार्वजनिक स्थलों पर अपराध की संभावना में कमी।
- महिलाओं एवं वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा में वृद्धि।
- सामुदायिक आयोजनों के लिए सुरक्षित वातावरण।

सुरक्षित वातावरण सामाजिक स्थिरता एवं सामुदायिक विश्वास को सुदृढ़ करता है, जो सामाजिक पूंजी निर्माण का आधार है।

v) सामुदायिक पहचान एवं सामाजिक एकजुटता

स्वागत प्रवेश द्वार, स्मृति द्वार, शेड निर्माण तथा खेल सुविधाओं जैसी परियोजनाएँ केवल भौतिक संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक पहचान एवं सामुदायिक एकजुटता को भी सुदृढ़ करती हैं।

- स्वागत द्वार क्षेत्रीय गौरव एवं सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहित करते हैं।
- खेल सुविधाएँ युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ती हैं।
- शेड एवं सामुदायिक संरचनाएँ सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायक होती हैं।

इस प्रकार, योजना ने सामाजिक संरचना को भी अप्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ किया है।

8. नीति-सुझाव

तीनों वर्षों के व्यय पैटर्न से यह स्पष्ट है कि योजना का क्रियान्वयन सक्रिय रहा है, किंतु संतुलित एवं सतत विकास के लिए कुछ संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। निम्नलिखित नीति-सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

a) शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु न्यूनतम 10% निधि आरक्षित

तीनों वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास से संबंधित परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम व्यय हुआ। यदि कुल निधि का न्यूनतम 10%

अनिवार्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं कौशल विकास मदों के लिए आरक्षित किया जाए, तो यह मानव पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करेगा।

b) डिजिटल पारदर्शिता पोर्टल का विकास

योजना की प्रभावशीलता के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। प्रत्येक स्वीकृत कार्य की जानकारी—मद, लागत, प्रगति, फोटो एवं पूर्णता तिथि—एक सार्वजनिक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे नागरिक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व (Accountability) में वृद्धि होगी।

c) सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए

योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था आवश्यक है। ग्राम सभा या स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाए, जिससे पारदर्शिता एवं जनविश्वास सुदृढ़ हो।

d) परिसंपत्ति रख-रखाव हेतु स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी

निर्मित परिसंपत्तियों—जैसे हाई मास्ट लाइट, सड़क, शेड—का नियमित रख-रखाव आवश्यक है। यदि रख-रखाव की स्पष्ट जिम्मेदारी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत/नगर पालिका) को सौंपी जाए, तो परिसंपत्तियों की दीर्घायु सुनिश्चित की जा सकती है।

e) प्रदर्शन-आधारित कार्यदायी संस्था चयन

कार्यदायी संस्थाओं का चयन उनके पूर्व प्रदर्शन, गुणवत्ता मानकों एवं समयबद्ध कार्य पूर्णता के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे कार्य गुणवत्ता में सुधार होगा तथा सार्वजनिक धन का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

वर्ष 2023–2026 के मध्य पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने भौतिक अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाश एवं सड़क परियोजनाओं ने क्षेत्रीय गतिशीलता, सुरक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है। फिर भी, दीर्घकालिक समावेशी विकास के लिए मानव विकास क्षेत्रों में संतुलित निवेश, पारदर्शिता, सामाजिक सहभागिता एवं संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना आवश्यक है। यदि उपर्युक्त नीति-सुझावों को क्रियान्वित किया जाए, तो यह योजना क्षेत्रीय विकास का अधिक प्रभावी, संतुलित एवं सतत उपकरण सिद्ध हो सकती है।

9. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के मध्य पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं व्ययित राशि का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया। उपलब्ध तालिकाओं के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि योजना ने जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों–पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर-–में भौतिक अवसंरचना विकास को उल्लेखनीय गति प्रदान की है। तीनों वर्षों में कुल व्यय में निरंतर वृद्धि (लगभग 19.91 करोड़ से बढ़कर 22.44 करोड़ रुपये तक) यह संकेत देती है कि योजना प्रशासनिक दृष्टि से सक्रिय एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ रही है।

अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि निधि का सर्वाधिक भाग प्रकाश व्यवस्था (विशेषतः हाई मास्ट लाइट) तथा सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय हुआ। इससे ग्रामीण संपर्क मार्गों में सुधार, बाजार गतिविधियों में विस्तार, सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि तथा क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से तराई क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क एवं प्रकाश अवसंरचना में निवेश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतीत होता है। हालाँकि, व्यय संरचना का गहन विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामुदायिक भवन एवं अन्य सामाजिक विकास मदों में अपेक्षाकृत सीमित निवेश हुआ। दीर्घकालिक मानव विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अवसंरचना-प्रधान मॉडल त्वरित एवं दृश्यात्मक विकास तो सुनिश्चित करता है, किंतु सतत एवं समावेशी विकास के लिए मानव पूंजी निर्माण में संतुलित निवेश आवश्यक है।

सोलर लाइट एवं वृक्षारोपण जैसी परियोजनाओं की उपस्थिति पर्यावरणीय संवेदनशीलता का संकेत देती है, परंतु उनका प्रतिशत अभी भी सीमित है। यदि भविष्य में सतत ऊर्जा एवं हरित विकास को अधिक प्राथमिकता दी जाए, तो यह योजना पर्यावरण-अनुकूल विकास मॉडल की दिशा में अग्रसर हो सकती है। विधानसभा-वार वितरण का अध्ययन यह दर्शाता है कि चारों क्षेत्रों में निधि का आवंटन तुलनात्मक रूप से संतुलित रहा। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत—स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास—को सुदृढ़ करता है। विभिन्न विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का चयन करना योजना की लचीलापन एवं स्थानीय उत्तरदायित्व का प्रमाण है।

समग्रतः, पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने क्षेत्रीय स्तर पर भौतिक अवसंरचना सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किंतु भविष्य में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित परियोजनाओं में न्यूनतम अनिवार्य निवेश, पारदर्शिता तंत्र, सामाजिक ऑडिट तथा परिसंपत्ति रख-रखाव की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक होगी। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधायक विकास निधि योजना पीलीभीत जनपद के क्षेत्रीय विकास का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है, परंतु इसे अधिक समग्र एवं दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण के साथ लागू करने की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक संतुलित एवं स्थायी बन सके।

संदर्भ

1. Comptroller and Auditor General of India. Performance audit of MPLADS. New Delhi (India): Comptroller and Auditor General of India; 2010.
2. Government of India. The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992. New Delhi (India): Ministry of Law and Justice; 1992.
3. Government of Uttar Pradesh. Guidelines for MLA Local Area Development Fund Scheme. Lucknow (India): Department of Planning, Government of Uttar Pradesh; 2023.
4. Khemani S. Fiscal decentralization and accountability. Washington (DC): World Bank; 2007.
5. Kimenyi M. Constituency development fund in Kenya. Nairobi (Kenya): Institute of Economic Affairs; 2005.
6. Oates WE. Fiscal federalism. New York (USA): Harcourt Brace Jovanovich; 1972.

7. Planning Commission of India. Evaluation study of MPLADS. New Delhi (India): Government of India; 2011.
8. Planning Commission. Twelfth Five Year Plan (2012–2017): faster, more inclusive and sustainable growth. New Delhi (India): Government of India; 2013.
9. Sen A. Development as freedom. Oxford (UK): Oxford University Press; 1999.
10. United Nations Development Programme. Human development report 2020: the next frontier—human development and the Anthropocene. New York (USA): UNDP; 2020.
11. World Bank. Decentralization and local governance: a review of theory and evidence. Washington (DC): World Bank Publications; 2000.
12. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (2023). विधायक विकास निधि दिशा-निर्देश।